

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
प्रकार प्रवेश लखनऊ।**

संख्या- राशिन/राशिप सम्प्रदात/ 2020/ 1871

लखनऊ दिनांक 14-8-2020

-कार्यालय धारा-

प्रमाण राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/राज्यी व्यवस्थित लोक शिक्षण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-8-2020 को विज्ञापित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने से प्रारंभ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ से सम्प्रदात/सम्प्रदात विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को लखनऊ, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ को अवगत में राशिप कार्यालय में भेजा गया है। चूंकि नई राशिप द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिकांश नई संस्थाओं को सम्प्रदात/पूर्व से प्राविधिक संस्थाओं को सम्प्रदात विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रणाली वृद्धि राशिप प्रदान नहीं का विस्तार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदात प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्प्रदात राशिप की वेबसाइट पर 14-8-2020 में विज्ञापित इन तकनीकी व्यवस्थित संस्थाओं को सम्प्रदात संस्थाओं का प्रत्यक्ष पता गया। सम्प्रदात राशिप द्वारा प्रेषित विस्तार-विस्तार का निर्णय निर्णय किया गया -

- निम्नी सूची में स्थापित विज्ञानिक इन तकनीकी पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ से पूर्व से सम्प्रदात हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएलसीआईए द्वारा उन्हें स्थापित अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएलसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख उचित पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रणाली के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्प्रदात विस्तार प्रदान किये जाने पर राशिप द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएलसीआईए द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्प्रदात विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को प्रेषित सम्प्रदात राशिप की वेबसाइट में किये गये प्रयोग निर्णय के अनुक्रम में दिए गये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित नहीं के उचित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रणाली प्रदान हेतु सम्प्रदात विस्तार प्रदान की गयी है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीएलसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रति संस्था	पीएलसीआईए/राशिप द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रति संस्था
1	संस्था	विद्यार्थकर्म अखिल लोक तकनीकी, 121, विस्तार, विद्यार्थकर्म रोड, अरुणा, कोलकाता।	विद्यार्थकर्म अखिल लोक तकनीकी	10	10

संस्थाओं हेतु नोट

- ✓ संस्था प्रमुख/प्रिंसिपल/डायरेक्टर द्वारा निर्दिष्ट की गयी नतीज का पूर्णतः प्रदान करेंगे।
- ✓ संस्था प्रमुख प्रेषित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ से प्राविधिक शिक्षा परिषद्, विद्यार्थकर्म अखिल लोक विद्यार्थकर्म-2020 तथा उनके निर्दिष्ट निर्णय एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण राशिप द्वारा निर्दिष्ट शुल्क तीन लाख रुपये प्रत्येक संस्थाओं हेतु एक लाख रुपये/प्रति वर्ष, जो लोक तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु एक- 10,00,000/- प्रति वर्ष एवं एक से अधिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रति लोक तकनीकी पाठ्यक्रम के अधिकांश हेतु एक-20,00,000/- प्रति वर्ष शुल्क की प्रतिक्रिया प्राप्त/प्रदान से प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक से अधिकांश एक/पाठ्यक्रमों में शुल्क के अभाव में प्रदान प्रदान पर



कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2079-DSR COLLEGE OF PHARMACY 233,PIPRANANKAR,RICHA JAHANABAD ROAD BAHERI,BAREILLY-243205			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2079-DSR COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30 प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।